

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहकाम
हुक्म को
में जो

29-6-21

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगन/परिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक 26/6/21 को पेश हो।

27/8/21

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगन/परिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक 25/8/21 को पेश हो।

22-10-21

पत्रावली प्रशासनगांवों के सेग अधिपान कैम्प
चांदरास गांव में पेश हुई, वकील प्रार्थना
का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय
पृष्ठक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया
गया। पत्रावली फॉल श्रुमर होकर नम्बर से
कम हो।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

प्रशासन गांवों के संग अभिधान 2021



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन गौनों के संग अभियान 202

क्रमा संख्या :- 186/19 प्रा-पत्र

श्रीमती साधरी काई प्लॉ ५० व ५१ कपा माली गियासी-सौजी कारवेड़ा त० मांडल (बंगरा) --प्रार्थी

बनाम

श्री नाथू स/० हजारी दुर्जर गियासी-सौजी कारवेड़ा त० मांडल (बंगरा) --विपक्षीगण
(पृष्ठान्ति प्रा-पत्रसंलग्न)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 22-10-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर देन किया कि ग्राम.....~~साधरी~~.....पटवार हल्का.....~~साधरी~~.....तहसील मांडल/में उसके /संयुक्त खातों की आराजी नं.....70.....कुल किता01.....गा.....07 बीघा.....हेक्टेयर.....स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी गिया का सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते प्रस्तुत खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान करायें जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक.....27-12-19.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को नौकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का कारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा - फेरी होने का अंदेश है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक अंत के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....~~साधरी~~.....हल्का.....~~साधरी~~.....तहसील मांडल में स्थित आराजी नं.....70.....कुल किता01.....रकबा.....07 बीघा.....हेक्टेयर.....के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक.....~~साधरी~~.....को500...../रकबा पर कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील नु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी, मांडल

मांडल, जिला-भीलवाड़ा 2021

तिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत